प्रतिलिपि आदेश दिनांक 6--5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 140-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-11-13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 प्र0क्र0 12/ि-21/13-14.

मुन्नीलाल पुत्र श्री लटकना अहिरवार
निवासी ग्राम पहरापुरवा तहसील
राजनगर जिला छतरपुर --- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 140/।।।/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
6.5.2014	यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 30–11–13 का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 12/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर का संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश मूल न्यायालय व्दारा पारित अंतिम आदेश है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में ऐसे आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को एंव व्दित्तीय अपील राजस्व मण्डल में होगी। 4/ उक्त कारणों से आवेदक को आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त होने के कारण निगरानी अग्राह्य होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती हैं पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। सदस्य	13/5/14